रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276398
SG-DL-E-22092026-276398

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216
No. 276] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948 [N. C. T. D. No. 216

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

फा. सं. 13(2)(54) / 2026 / कॉड / 203 — गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 27(2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 03.08.2026 को संपन्न हुई अपनी 92वीं बैठक में कार्यसूची की मद सं 92.20 के संकल्प के द्वारा 'संविदा आधार पर या समकक्ष नियुक्ति ' से संबंधित वर्तमान अध्यादेश 14 के खण्ड (v) में निम्न संशोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दीः

खण्ड संख्या	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
(v)	आयु सीमाः सहायक प्राध्यापक तथा उससे उच्च पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। यदि आयु अनुमति देती है, तो उन्हें प्रारम्भिक रूप से 3 वष की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, जिसे 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अधिकतम 2	आयु सीमाः सहायक प्राध्यापक एवं उससे उच्च पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। यदि आयु अनुमति देती है, तो उन्हें प्रारम्भिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, जिसे 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर आगे

	वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तथापि, ऐसी नियुक्ति का नवीनीकरण वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। अन्य कर्मचारियों के लिए, सहायक कुलसचिव तथा उससे उच्च स्तर क पदों पर अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। तथापि, अन्य कर्मचारियों के प्रथम संविदा नियुक्ति के समय अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयु सीमा संविदा के नवीनीकरण के समय लागू नहीं होगी।	बढ़ाया जा सकेगा। सहायक अनुभाग अधिकारी तथा उससे उच्च स्तर के पदों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। तथापि, उपर्युक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्तियों के प्रथम नियुक्ति के समय अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, जो संविदा के नवीनीकरण के समय लागू नहीं होगी। भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट विभागों/संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में प्रारम्भिक नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होगी। तथापि, यह आयु–सीमा संविदा के नवीनीकरण के समय लागू नहीं होगी।

यह संशोधन, प्रबंध मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति–तिथि, अर्थात् 03.08.2026 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता

डॉ० कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 16th September, 2026

F. No. 13(2)(54)/ 2026/ CORD/203.— In pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 92nd meeting held on 03.08.2026 vide resolution to agenda item no. BM 92.20 approved the following amendments in the clause (v) of the existing Ordinance 14 related to 'Appointment on Contract Basis or equivalent' of the University:

Clause No.	Existing clause	Amended clause
(v)	**Age limit:** The age limit for Assistant Professor and above will be 70 years. If age permits they may be initially appointed for a period of 3 years extendable by another period of 2 years till they attain the age of 70 years. However, the appointment would be on year to year basis. In the case of other staff at the level of Assistant Registrar and above the age limit will be 70 years; however, the age limit at the time of first appointment in case of other staff will be 45 which will not be applicable at the time of renewal of contract.	**Age limit:** The age limit for Assistant Professor and above will be 70 years, if age permits, they may be initially appointed for a period of 3 years, which is further extendable on year to year basis till they attain the age of 70 years. The age limit, at the level of posts Assistant Section Officer and above, will also be 70 years. However, the upper age limit at the time of first appointment on the above referred post of other person on contract will be 45 years, which will not be applicable at the time of renewal of contract. Provided further that the minimum age, in case of employee retired from the departments/ institutions prescribed in the RRs shall be 45 years and above at the time of initial appointment which will not be applicable at the time of renewal of contract.

This amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 03.08.2026.

By Order

DR. KAMAL PATHAK, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA